

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no-01372-252175

पत्रांक 4488/12-1

गोपेश्वर,

दिनांक

17/06

2020

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर।

विषय:-

जनपद चमोली के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सैज तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.400 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/१५४/२०१८/एफ०सी०/११७ दिनांक 18.05.2020

नोटव्य,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुसार मांग पत्र निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

1. शर्त सं० 01 के अनुसार वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. शर्त सं० 2 के अनुसार परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।
3. शर्त सं० 03 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 800 पौधों का रोपण की धनराशि रु० 10,64,800.00 (रु० दस लाख चौंसठ हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि जमा की जायेगी।
4. (क) शर्त सं०-5 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि रु० 262800.00 (रु० दो लाख बासठ हजार आठ सौ) मात्र की धनराशि जमा की जायेगी।
(ख) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में यदि बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बढ़ी हुई दर से धनराशि जमा किए जाने का वचनबद्धता प्रमाण पत्र का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. शर्त सं० 7 परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि केवल ई-पोर्टल (<https://pravesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूर्ति पनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किए जायेंगे।

अतः उपरोक्त धनराशि रु० 13,27,600.00 (रु० तेरह लाख सत्ताईस हजार छः सौ) मात्र की धनराशि जमा करते हुए सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या तीन-तीन मूल प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए ऑनलाईन पोर्टल (<https://pravesh-nic-in/>) पर अपलोड भी करे।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

LAC
29/6/2020